

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## ::कार्यालय आदेश::

माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में दायर अपील संख्या 2909/2019 श्रीमती आशा शर्मा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य प्रकरण में श्रीमती आशा शर्मा, प्रधानाचार्य द्वारा स्वयं के स्थानान्तरण आदेश (राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, गणगौरी बाजार जिला जयपुर से राउमावि पोलयाड़ा जिला टोंक) के विरुद्ध अन्तरिम स्थगनादेश प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक: 21.10.2019 द्वारा श्रीमती आशा शर्मा को माननीय अधिकरण के आगामी/अन्तिम आदेश के अध्यक्षीन राउमावि गणगौरी बाजार, जयपुर में एवं उनके स्थान पर स्थानान्तरित प्रधानाचार्य श्रीमती जयश्री भार्गव का अन्तरिम समायोजन दोहरे पदस्थापन को समाप्त करने के उद्देश्य से राउमावि पोलयाड़ा जिला टोंक में माननीय अधिकरण के आगामी/अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन किया गया था।

श्रीमती आशा शर्मा, प्रधानाचार्य के दिनांक 30.04.2020 को अर्द्धवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप माननीय अधिकरण द्वारा पूर्व में जारी अन्तरिम स्थगनादेश अब प्रभावी नहीं रहा। तदनुसार उक्त आदेश के प्रभावी नहीं होने की स्थिति में विभागीय आलोच्य आदेश दिनांक: 29.09.2019 श्रीमती जयश्री भार्गव, प्रधानाचार्य के सम्बन्ध में पुनः प्रभावी हो गया है। अतः श्रीमती जयश्री भार्गव, प्रधानाचार्य को राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, गणगौरी बाजार जिला जयपुर में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यग्रहण की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश की पालना में कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण से सम्बन्धित समस्त प्रविष्टियों का इन्द्राज शाला दर्पण पोर्टल पर किया जाना सुनिश्चित करें।

(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा./संस्था/बी-2/अपील/2909/425/2019

दिनांक: 06/05/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर/अजमेर संभाग, जयपुर/अजमेर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर/टोंक।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, जयपुर/टोंक।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. श्रीमती जयश्री भार्गव, प्रधानाचार्य को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)